न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम), सिद्धार्थ नगर

उपस्थित– श्री राम चन्द्र यादव–I   एच०जे०एस०

विशेष फौजदारी (विद्युत) वाद संख्या––०२/२०१८

राज्य––––––––––––––––––––––––––––––––––अभियोजक

बनाम

लक्ष्मन पुत्र हरिद्वार

निवासी–परसाशाह आलम, थाना–सिद्धार्थनगर

जनपद–सिद्धार्थनगर।

––––––––––––––अभियुक्त

मु०अ०सं०–१०४२/२०१५

धारा–१३८(बी) विद्युत अधिनियम

थाना–सिद्धार्थनगर

जनपद–सिद्धार्थ नगर।

निर्णय

१– पुलिस थाना–सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर ने अभियुक्त लक्ष्मन को धारा–१३८(बी) विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित करके न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रेषित किया है।

२– संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार हैं कि दिनांक–२४–०९–२०१५ को समय १२.४५ बजे दिन में बहद स्थान परसाशाह आलम, थाना व जिला–सिद्धार्थनगर में वादी मुकदमा उप निरीक्षक राजेश यादव व उनकी टीम द्वारा चेकिंग के दौरान पाया गया कि अभियुक्त लक्ष्मन पुत्र हरिद्वार निवासी–परसाशाह आलम, थाना–सिद्धार्थनगर विद्युत बिल मु० १,५७,९०५/–रु० का बकायेदार था और बिना विद्युत बिल जमा किये विद्युत का उपभोग कर रहा था। अभियुक्त का उक्त कृत्य धारा–१३८बी के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अभियुक्त से शमन शुल्क जमा करने हेतु कहा गया तो वह तैयार नहीं हुआ। वादी मुकदमा द्वारा इस घटना के सम्बन्ध में थाना–सिद्धार्थनगर में तहरीर दिया गया, जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मु०अ०सं०–१०४२/२०१५ धारा १३८(बी) विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना थाना–सिद्धार्थनगर की पुलिस द्वारा की गई। दौरान विवेचना विवेचक ने घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया और

गवाहान का बयान अंकित किया। विवेचनोपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर विवेचक द्वारा अभियुक्त लक्ष्मन के विरूद्ध धारा १३८(बी) विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है।

३– अभियुक्त लक्ष्मन न्यायालय में उपस्थित आया उसने अपनी उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु अपनी जमानत करवाई उसे आवश्यक अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियां प्रदान की गई अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय द्वारा धारा १३८(बी). विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया है। अभियुक्त ने विरचित आरोप से इन्कार किया और विचारण की मॉग की।

४– अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में तहरीर, नक्शा नजरी घटना स्थल व आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

५– बचाव–पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में शमन शुल्क रसीद सं०–८४७४३०/१९ दिनांकित २१–०२–२०१९ मु०–४,०००/–रूपये जमा करने की रसीद की छाया प्रति एवं विद्युत विभाग द्वारा जारी प्रपत्र पत्रावली पर दाखिल किया गया है। शमन शुल्क रसदी की छाया प्रति को अभियोजनपक्ष के साक्षी पी०डब्लू०–१ द्वारा सत्यापित किया गया है।

६– अभियोजनपक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में उ०प्र० पावर कारपोरेशन के विशेष अभियोजन अधिकारी द्वारा मौखिक साक्षी के रूप में पी०डब्लू०–१ राम प्रताप टी०जी०टू विद्युत वितरण खण्ड सिद्धार्थनगर को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के विशेष अभियोजन अधिकारी द्वारा किसी अन्य साक्षी को परीक्षित न किये जाने का कथन किया गया। तदोपरान्त अभियोजन साक्ष्य की कार्यवाही समाप्त की गयी।

७– अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा ३१३ द०प्र०सं० अंकित किया गया है जिसमें अभियुक्त ने घटना के सम्बन्ध तथा साक्षी पी०डब्लू०–१ के साक्ष्य के सम्बन्ध में कुछ न कहना बताया, मुकदमा क्यों चला के सम्बन्ध में मालूम नहीं बताया, कुछ और कहने व सफाई साक्ष्य देने से इनकार किया है।

८– अभियोजनपक्ष की ओर से उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के विशेष अभियोजन अधिकारी तथा बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

९– पत्रावली पर उपलब्ध लिखित तहरीर तथा अन्य अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से अभियोजन कहानी इस प्रकार स्पष्ट होती है कि २४–०९–२०१५ को समय १२.४५ बजे दिन में बहद स्थान परसाशाह आलम, थाना व जिला–सिद्धार्थनगर में वादी मुकदमा उप निरीक्षक राजेश यादव व उनकी टीम द्वारा चेकिंग किया गया तथा दौरान चेकिंग पाया गया कि अभियुक्त लक्ष्मन पुत्र हरिद्वार निवासी–परसाशाह आलम, थाना–

सिद्धार्थनगर विद्युत बिल मु० १,५७,९०५/–रु० का बकायेदार था और बिना विद्युत बिल जमा किये विद्युत का उपभोग कर रहा था। थाना–सिद्धार्थनगर में वादी मुकदमा द्वारा इस आशय की सूचना दिया गया कि अभियुक्त का यह कार्य विद्युत अधिनियम २००७ की धारा १३८(बी) के तहत दण्डनीय अपराध है, जिसके आधार पर थाना–सिद्धार्थनगर में अभियुक्त के विरूद्ध यह अपराध पंजीकृत किया गया । मामले की विवेचना थाना स्थानीय की पुलिस द्वारा की गई विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा वादी मुकदमा व अन्य साक्षियों का बयान अंकित किया गया तथा घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया और विवेचनोपरान्त अभियुक्त लक्ष्मन के विरूद्ध अन्तर्गत धारा १३८(बी) विद्युत अधिनियम का आरोप बखूबी साबित पाये जाने पर आरोप–पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

१०– अभियोजनपक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–१ राम प्रताप टी०जी०टू विद्युत वितरण खण्ड सिद्धार्थनगर ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि लक्ष्मन पुत्र हरिद्वार निवासी परसा शाह आलम, थाना व जनपद सिद्धार्थनगर के विरुद्ध दिनांक २४–०२–२०१५ को मुकदमा अन्तर्गत धारा–१३८बी भा०वि० अधि० पंजीकृत कराया गया था। बाद में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त का कोई देय शेष नहीं है। प्रपत्रों को न दिखा पाने के कारण उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त द्वारा दौरान मुकदमा शमन शुल्क जमा कर दिया गया है। पत्र अधिशाषी अभियन्ता का संलग्न भी है। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–६क साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने देखकर कहा कि यह रसीद उसके विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिस पर उसके विभाग के सूक्ष्म हस्ताक्षर दिनांक २१–०२–२०१९ दर्ज है। इस रसीद को साक्षी ने प्रमाणित किया है, इस पर प्रदर्श क–१ डाला गया।

११– इस साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा की गयी है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह कहना सही बताया है कि दौरान मुकदमा दिनांक २१–०२–२०१९ को शमन शुल्क जमा कर दिया गया है।

१२– पत्रावली पर बचाव–पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में शमन शुल्क रसीद सं०–८४७४३०/१९ दिनांकित २१–०२–२०१९ मु०–४,०००/–रूपये जमा करने की रसीद की छाया प्रति एवं विद्युत विभाग द्वारा जारी प्रपत्र पत्रावली पर दाखिल किया गया है। बचावपक्ष की ओर से दाखिल शमनशुल्क रसीद प्रदर्श क–१ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के विशेष अभियोजन अधिकारी द्वारा परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–१ ने अपने सशपथ बयान द्वारा साबित किया है।

१३– अभियोजनपक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी के बयान से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त द्वारा दौरान मुकदमा शमन शुल्क रसीद सं०–८४७४३०/१९ दिनांकित

२१–०२–२०१९ मु०–४,०००/–रूपये विभाग में जमा करने की छाया प्रति पत्रावली पर दाखिल किया गया है। शमन शुल्क प्रदर्श क–१ के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है जिसे पी०डब्लू०–१ राम प्रताप टी०जी०टू विद्युत वितरण खण्ड सिद्धार्थनगर ने अपने सशपथ बयान द्वारा साबित किया है। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध हैं, जिसके सम्बन्ध में धारा १५२ (२) विद्युत अधिनियम २००३ के तहत शमन शुल्क जमा करवा कर मामले को समाप्त किया जा सकता है।

१४– उपरोक्त तथ्यों पर विचारोपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि अभियुक्त लक्ष्मन द्वारा विद्युत बकाया धनराशि शमन शुल्क रसीद सं०–८४७४३०/१९ दिनांकित २१–०२–२०१९ मु०–४,०००/–रूपये विभाग में जमा करने की रसीद की छाया प्रति पत्रावली पर दाखिल किया गया है, जो प्रदर्श क–१ के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है, इसलिए अभियुक्त लक्ष्मन धारा १५२ (२) विद्युत अधिनियम २००३ का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है और आरोपित आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है ।

आदेश

अभियुक्त लक्ष्मन को विशेष फौजदारी वाद संख्या–०२/२०१८ सम्बन्धित मु०अ०सं०–१०४२/२०१५ धारा १३८(बी) विद्युत अधिनियम थाना व जिला–सिद्धार्थनगर के आरोप से दोष–मुक्त किया जाता है अभियुक्त जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा दाखिल व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किया जाता है तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांक–२६–०३–२०१९ (राम चन्द्र यादव–I)

अपर सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)

सिद्धार्थनगर

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षर करके एवं दिनांक डालकर सुनाया गया।

दिनांक–२६–०३–२०१९ (राम चन्द्र यादव–I)

अपर सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)

सिद्धार्थ नगर